संख्या-217/2016/829/22-2-2016-17(25)/2015

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 03 नवम्बर, 2016***

विषय:- जिला कारागार, पीलीभीत में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शमशाद पुत्र श्री सज्जाद बक्श, निवासी जनपद-पीलीभीत की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3284/पर-7(एम-20-01-2016) दिनांक-03-02-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, पीलीभीत में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शमशाद पुत्र श्री सज्जाद बक्श, ग्राम-रढ़ैता, थाना-बीसलपुर, जनपद-पीलीभीत का रहने वाला है। भैंसे खोले जाने को लेकर चल रहे मन मुटाव के कारण बन्दी ने दो सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 14.01.2007 को प्रात: लगभग 10:00 बजे तमन्चे से गोली मारकर व कांते से वारकर 02 लोगों को घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-197/2007 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-307, 504 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश, ई0सी0 एक्ट, पीलीभीत द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.08.2011 को 07 वर्ष के सश्रम कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 13-01-2016 तक 05 वर्ष 07 माह 06 दिन की अपरिहार तथा 06 वर्ष 11 माह 01 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण संतोषजनक है। बन्दी के 02 सहअभियुक्त जमानत पर कारागार से रिहा हो चुके हैं। जिला प्रोबेशन अधिकारी, ने बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में आता है, दोनों पक्षों में विवाद अभी विद्यमान है, की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। पुलिस अधीक्षक ने बन्दी पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं हुआ है, की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत ने बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए पुलिस अधीक्षक की आख्या से सहमत होते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्दोष बन्दी शमशाद पुत्र श्री सज्जाद बक्श, निवासी जनपद-पीलीभीत को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेयक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी शमाशाद (बन्दी संख्या-366/11) पुत्र श्री सज्जाद बक्श, निवासी जनपद-पीलीभीत के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-217/2016/829(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, पीलीभीत।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-217/2016/829@22-2-2016-17(25)/2015

दिनांक 03 नवम्बर, 2016 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, पीलीभीत में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शमशाद पुत्र श्री सज्जाद बक्श, ग्राम-रढैता, थाना-बीसलपुर, जनपद-पीलीभीत का रहने वाला है। भैंसे खोले जाने को लेकर चल रहे मन मुटाव के कारण बन्दी ने दो सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 14.01.2007 को प्रात: लगभग 10:00 बजे तमन्चे से गोली मारकर व कांते से वारकर 02 लोगों को घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-197/2007 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-307, 504 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश, ई0सी0 एक्ट, पीलीभीत द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.08.2011 को 07 वर्ष के सश्रम कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 13-01-2016 तक 05 वर्ष 07 माह 06 दिन की अपरिहार तथा 06 वर्ष 11 माह 01 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण संतोषजनक है। बन्दी के 02 सहअभियुक्त जमानत पर कारागार से रिहा हो चुके हैं। जिला प्रोबेशन अधिकारी, ने बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में आता है, दोनों पक्षों में विवाद अभी विद्यमान है, की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। पुलिस अधीक्षक ने बन्दी पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं हुआ है, की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत ने बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए पुलिस अधीक्षक की आख्या से सहमत होते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी शमशाद पुत्र श्री सज्जाद बक्श, निवासी जनपद-पीलीभीत को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।